संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2020/1148-M — भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–भोपाल,(म0प्र0)।

विषयः– *श्री मिथलेश कुमार विजय,व्दारा बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष)के एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने एवं परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने बाबत्।*

संदर्भः– आदेश कमांक/अनुकम्पा नियु./2016/13438,भोपाल,दिनांक 19.10.2016।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके के उक्त संदर्भित आदेश के व्दारा श्री मिथलेश कुमार विजय,पुत्र स्व0 श्री हरिनारायण विजय,जिला भोपाल,को सर्वेलेन्स कार्यकर्ता (तृतीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान् 5200–20200+2100 ग्रेड पे पर सशर्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।

श्री मिथलेश कुमार विजय,की उक्त संदर्भित आदेश के व्दारा की अनुकम्पा नियुक्ति विभागीय अलिपिकीय सेवा भर्ती नियम 1989 में निहित प्रावधान अनुसार बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) का पद तकनीकी पद है। इस पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु संचालनालय स्तर से समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश को पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2015/573–एफ,भोपाल,दिनांक 07.8.2015 के व्दारा निर्देश जारी किये गये है। एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक सी/3–4/1/3/08,दिनांक 18 अगस्त 2008 की कण्डिका 5 – अनुकम्पा नियुक्ति के पद की उप कंडिका 5.3 में यह प्रावधान है कि" यदि किसी पद के लिये/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने आवश्यक्ता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वंय के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हे नियुक्ति दी जावेगी। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,म0प्र0 एवं समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय मध्यप्रदेश को पत्र कमांक/3/प.क./स्थापना/सेल–2/04/1726, भोपाल, दिनांक 08.10.2004 के व्दारा निर्देश दिये गये थे कि **बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष/महिला का पद तकनीकी पद है,बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये अनुकम्पा नियुक्ति नही दी जावे।**

श्री मिथलेश कुमार विजय,की अनुकम्पा नियुक्ति उक्त विभागीय सेवा भर्ती नियमों/सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रो एवं संचालनालय स्तर से जारी दिशा निर्देशों के बिरूद्ध की गई थीं। जिसे संचालनालय के पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2018/644–एम, दिनांक 26.6.2018 प्रेषित कर यह निर्देशित किया गया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवांयें,व्दारा जारी परिपत्र दिनांक 7.8.2015 द्वारा ऐसे आवेदक जिन्हे प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पूर्व ही नियुक्ति प्रदान कर दी गई है के नियुक्ति आदेश निरस्त कर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत से नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करे एवं भुगतान किये गये वेतन भत्तो की वसूली संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आपके व्दारा आदेश कमांक/स्था./नर्सिंग/2018/9623, दिनांक 30.6.2018 व्दारा उक्त अप्रशिक्षित उम्मीदवार श्री मिथलेश कुमार विजय,को नियमों के विरूद्ध दी गई अनुकम्पा नियुक्ति आदेश दिनांक 19.10.2016 को निरस्त करते हुये इन्हे स्वंय के व्यय पर (एम0पी0डब्ल्यू0प्रशिक्षण केन्द्र जिला सागर) में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं साथ ही नियुक्ति दिनांक से 19.10.2016 से 30.6.2018 तक देय वेतन एवं भत्तो की वसूली किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये।

निरंतर..........2

आपके आदेश दिनांक 30.6.2018 नियुक्ति आदेश निरस्ती के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में **रिट याचिका कमांक 14718/2018 श्री तनुज तिवारी जिला भोपाल एवं अन्य (5) में स.क.(4) पर श्री मिथलेश कुमार विजय का नाम भी सम्मिलित है,के व्दारा दायर** की गई जिस पर माननीय न्यायालय व्दारा दिनांक 16.8. 2018 को निम्नानुसार आदेश पारित हुआः–

In view of the above, this petition is disposed of quashing the order impugned dated 30.06.2018 (Annexure P-1) directing respondent to allow the petitioner to rejoin and thereafter the petitioner would submit an appropriate application containing all these undertakings that he would not claim any salary for the period when he had undergone the training and would also bear the expenses of training. The respondents are further directed to consider the petitioner's application and to pass an appropriate order for sending him on training within a period of fifteen days from the date of submitting the application along with certified copy of this order.

न्यायालयीन पारित आदेश के पालन मे संचालनालय स्तर से आपको पत्र कमांक/2/अवि. /सेल–5/2018/1064–पी,भोपाल,दिनांक 12.10.2018 प्रेषित कर श्री मिथलेश कुमार विजय, याचिकाकर्ता से सहमति प्राप्त कर प्राचार्य पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर से स्वंय के व्यय पर एम0पी0डब्ल्यू0 का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देर्शित किया गया ।

श्री मिथलेश कुमार विजय, व्दारा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र सागर से दिनांक 23.10.2018 से 23.10. 2019 तक स्वंय के व्यय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। दिनांक 04.3.2020 से 07.3.2020 तक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुये। परीक्षा का परिणाम दिनांक 27.4.2020 को प्रकाशित/जारी हुआ। जिसमें श्री मिथलेश कुमार विजय उत्तीर्ण पाये गये।

श्री मिथलेश कुमार विजय,की मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं संचालनालय के आदेशो के बिरूद्ध की गई अनुकम्पा नियुक्ति अवधि में दिनांक 19.10.2016 से 30.6.2018 एवं दिनांक 01.7.2018 से 16 अक्टूबर 2018 तक भुगतान किये गये वेतन एवं भत्तो की वसूली संबंधी कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

अतः श्री मिथलेश कुमार विजय,व्दारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप आपके अधीनस्थ जिले में रोस्टर अनुसार रिक्त पुरूष बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) के पद पर नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करने संबंधी कार्यवाही कर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ./क्रमांक/4/लीगल/जेबीएल/2020/1149-M
भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, म0प्र0।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें संभाग भोपाल/जबलपुर सम्भाग,मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक (लीगल/शिकायत) स्थानीय कार्यालय।
5. जिला मलेरिया अधिकारी,भोपाल।
6. कोषालय अधिकारी, भोपाल,म0प्र0।
7. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2020/1156-M   भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–भोपाल,(म0प्र0)।

विषयः– श्री तनुज तिवारी, व्दारा बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) के एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने एवं परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने बाबत्।

संदर्भः– आदेश कमांक/अनुकम्पा नियु./2016/13442,भोपाल,दिनांक 19.10.2016।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके के उक्त संदर्भित आदेश के व्दारा श्री तनुज तिवारी,पुत्र स्व0 श्रीमती छाया तिवारी जिला भोपाल,को सर्वेलेन्स कार्यकर्ता (तृतीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान् 5200–20200+2100 ग्रेड पे पर सशर्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।

श्री तनुज तिवारी की उक्त संदर्भित आदेश के व्दारा की अनुकम्पा नियुक्ति विभागीय अलिपिकीय सेवा भर्ती नियम 1989 में निहित प्रावधान अनुसार बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) का पद तकनीकी पद है। इस पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु संचालनालय स्तर से समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश को पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2015/573–एफ,भोपाल,दिनांक 07.8.2015 के व्दारा निर्देश जारी किये गये है। एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक सी/3–4/1/ 3/08,दिनांक 18 अगस्त 2008 की कण्डिका 5 – अनुकम्पा नियुक्ति के पद की उप कंडिका 5.3 में यह प्रावधान है कि" यदि किसी पद के लिये/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वंय के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं संफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हे नियुक्ति दी जावेगी। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,म0प्र0 एवं समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय मध्यप्रदेश को पत्र कमांक/3/प.क./स्थापना/सेल–2/04/1726, भोपाल, दिनांक 08.10.2004 के व्दारा निर्देश दिये गये थे कि **बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष/महिला का पद तकनीकी पद है,बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये अनुकम्पा नियुक्ति नही दी जावे।**

श्री तनुज तिवारी की अनुकम्पा नियुक्ति उक्त विभागीय सेवा भर्ती नियमों/सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रो एवं संचालनालय स्तर से जारी दिशा निर्देशों के बिरूद्ध की गई थी। जिसे संचालनालय के पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2018/644–एम, दिनांक 26.6.2018 प्रेषित कर यह निर्देशित किया गया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,व्दारा जारी परिपत्र दिनांक 7.8.2015 द्वारा ऐसे आवेदक जिन्हे प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पूर्व ही नियुक्ति प्रदान कर दी गई है के नियुक्ति आदेश निरस्त कर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत से नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करे एवं भुगतान किये गये वेतन भत्तो की वसूली संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आपके आदेश कमांक/स्था./नर्सिग/2018/9623, दिनांक 30.6.2018 व्दारा उक्त अप्रशिक्षित उम्मीदवारो को नियमों के विरूद्ध दी गई अनुकम्पा नियुक्ति आदेश दिनांक 19.10.2016 को निरस्त करते हुये इन्हे स्वंय के व्यय पर (एम0पी0डब्ल्यू0प्रशिक्षण केन्द्र जिला सागर) में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं साथ ही नियुक्ति दिनांक से 19.10.2016 से 30.6.2018 तक देय वेतन एवं भत्तो की वसूली किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये।

निरंतर..........2

आपके आदेश दिनांक 30.6.2018 नियुक्ति आदेश निरस्ती के विरूद्ध अभ्यार्थी व्दारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में **रिट याचिका कमांक 14718/2018 दायर** की गई जिस पर माननीय न्यायालय व्दारा दिनांक 16.8.2018 को निम्नानुसार आदेश पारित हुआ:-

In view of the above, this petition is disposed of quashing the order impugned dated 30.06.2018 (Annexure P-1) directing respondent to allow the petitioner to rejoin and thereafter the petitioner would submit an appropriate application containing all these undertakings that he would not claim any salary for the period when he had undergone the training and would also bear the expenses of training. The respondents are further directed to consider the petitioner's application and to pass an appropriate order for sending him on training within a period of fifteen days from the date of submitting the application along with certified copy of this order.

न्यायालयीन पारित आदेश के पालन मे संचालनालय स्तर से आपको पत्र कमांक/2/अवि./सेल-5/2018/1064-पी,भोपाल,दिनांक 12.10.2018 प्रेषित कर श्री तनुज तिवारी याचिकाकर्ता से सहमति प्राप्त कर प्राचार्य पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर से स्वंय के व्यय पर एम0पी0डब्ल्यू0 का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया ।

श्री तनुज तिवारी व्दारा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र सागर से दिनांक 23.10.2018 से 23.10.2019 तक स्वंय के व्यय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। दिनांक 04.3.2020 से 07.3.2020 तक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुये। परीक्षा का परिणाम दिनांक 27.4.2020 को प्रकाशित/जारी हुआ। जिसमें श्री तनुज तिवारी उत्तीर्ण पाये गये।

श्री तनुज तिवारी की मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं संचालनालय के आदेशो के बिरूद्ध की गई अनुकम्पा नियुक्ति अवधि में दिनांक 19.10.2016 से 30.6.2018 एवं दिनांक 01.7.2018 से 16 अक्टूबर 2018 तक भुगतान किये गये वेतन एवं भत्तो की वसूली संबंधी कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

अतः श्री तनुज तिवारी व्दारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप आपके अधीनस्थ जिले में रोस्टर अनुसार रिक्त पुरूष बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) के पद पर नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करने संबंधी कार्यवाही कर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ./क्रमांक/4/लीगल/जेबीएल/2020/1147-M
भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, म0प्र0।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें संभाग भोपाल/जबलपुर सम्भाग,मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक (लीगल/शिकायत) स्थानीय कार्यालय।
5. जिला मलेरिया अधिकारी,भोपाल।
6. कोषालय अधिकारी, भोपाल/बैतूल, म0प्र0।
7. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2020/1154 – M   भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–भोपाल (म0प्र0)।

विषय:– श्री प्रमोद मेहरा,व्दारा बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष)के एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने एवं परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने बाबत्।

संदर्भ:– आदेश कमांक/अनुकम्पा नियु./2016/13440,भोपाल,दिनांक 19.10.2016।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके उक्त संदर्भित आदेश के व्दारा श्री प्रमोद मेहरा पुत्र स्व0 श्रीमती कलावती मेहरा,जिला भोपाल,को सर्वेलेन्स कार्यकर्ता (तृतीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान् 5200–20200+2100 ग्रेड पे पर सशर्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।

श्री प्रमोद मेहरा,की उक्त संदर्भित आदेश के व्दारा की अनुकम्पा नियुक्ति विभागीय अलिपिकीय सेवा भर्ती नियम 1989 में निहित प्रावधान अनुसार बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) का पद तकनीकी पद है। इस पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु संचालनालय स्तर से समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश को पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2015/573–एफ,भोपाल,दिनांक 07.8.2015 के व्दारा निर्देश जारी किये गये है। एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक सी/3–4/1/ 3/08,दिनांक 18 अगस्त 2008 की कण्डिका 5 – अनुकम्पा नियुक्ति के पद की उप कंडिका 5.3 में यह प्रावधान है कि" यदि किसी पद के लिये/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने आवश्यक्ता हो तो सबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वंय के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हे नियुक्ति दी जावेगी। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,म0प्र0 एवं समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय मध्यप्रदेश को पत्र कमांक/3/प.क./स्थापना/सेल–2/04/1726, भोपाल, दिनांक 08.10.2004 के व्दारा निर्देश दिये गये थे कि **बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष/महिला का पद तकनीकी पद है,बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये अनुकम्पा नियुक्ति नही दी जावे।**

श्री **प्रमोद मेहरा**,की अनुकम्पा नियुक्ति उक्त विभागीय सेवा भर्ती नियमों/सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रो एवं संचालनालय स्तर से जारी दिशा निर्देशों के बिरूद्ध, की गई थी। जिसे संचालनालय के पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2018/644–एम, दिनांक 26.6.2018 प्रेषित कर यह निर्देशित किया गया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,व्दारा जारी परिपत्र दिनांक 7.8.2015 द्वारा ऐसे आवेदक जिन्हे प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पूर्व ही नियुक्ति प्रदान कर दी गई है के नियुक्ति आदेश निरस्त कर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत से नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करे एवं भुगतान किये गये वेतन भत्तो की वसूली संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आपके आदेश कमांक/स्था./नर्सिंग/2018/9623, दिनांक 30.6.2018 व्दारा उक्त अप्रशिक्षित उम्मीदवार ***श्री प्रमोद मेहरा***,को नियमों के विरूद्ध दी गई अनुकम्पा नियुक्ति आदेश दिनांक 19.10.2016 को निरस्त करते हुये इन्हे स्वंय के व्यय पर (एम0पी0डब्ल्यू0प्रशिक्षण केन्द्र जिला सागर) में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं साथ ही नियुक्ति दिनांक से 19.10.2016 से 30.6.2018 तक देय वेतन एवं भत्तो की वसूली किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये।

निरंतर..........2

आपके आदेश दिनांक 30.6.2018 नियुक्ति आदेश निरस्ती के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका कमांक 14718/2018 श्री तनुज तिवारी जिला भोपाल एवं अन्य (5) में स.क.(3) पर श्री प्रमोद मेहरा, का नाम भी सम्मिलित है,के व्दारा दायर की गई जिस पर माननीय न्यायालय व्दारा दिनांक 16.8.2018 को निम्नानुसार आदेश पारित हुआ:-

In view of the above, this petition is disposed of quashing the order impugned dated 30.06.2018 (Annexure P-1) directing respondent to allow the petitioner to rejoin and thereafter the petitioner would submit an appropriate application containing all these undertakings that he would not claim any salary for the period when he had undergone the training and would also bear the expenses of training. The respondents are further directed to consider the petitioner's application and to pass an appropriate order for sending him on training within a period of fifteen days from the date of submitting the application along with certified copy of this order.

न्यायालयीन पारित आदेश के पालन मे संचालनालय स्तर से आपको पत्र कमाक/2/अवि./सेल-5/2018/1064-पी,भोपाल,दिनांक 12.10.2018 प्रेषित कर श्री प्रमोद मेहरा, याचिकाकर्ता से सहमति प्राप्त कर प्राचार्य पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर से स्वंय के व्यय पर एम0पी0डब्ल्यू0 का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया ।

श्री प्रमोद मेहरा,व्दारा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र सागर से दिनांक 23.10.2018 से 23.10.2019 तक स्वंय के व्यय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। दिनांक 04.3.2020 से 07.3.2020 तक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुये। परीक्षा का परिणाम दिनांक 27.4.2020 को प्रकाशित/जारी हुआ। जिसमें श्री प्रमोद मेहरा,उत्तीर्ण पाये गये।

श्री प्रमोद मेहरा,की मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं संचालनालय के आदेशो के विरूद्ध की गई अनुकम्पा नियुक्ति अवधि में दिनांक 19.10.2016 से 30.6.2018 एवं दिनांक 01.7.2018 से 16 अक्टूबर 2018 तक भुगतान किये गये वेतन एवं भत्तो की वसूली संबंधी कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

अतः श्री प्रमोद मेहरा,व्दारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप आपके अधीनस्थ जिले में रोस्टर अनुसार रिक्त पुरूष बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) के पद पर नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करने संबंधी कार्यवाही कर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (अतिइप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ./क्रमांक/4/लीगल/जेबीएल/2020/1145-M
भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, म0प्र0।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें संभाग भोपाल/जबलपुर सम्भाग,मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक (लीगल/शिकायत) स्थानीय कार्यालय।
5. जिला मलेरिया अधिकारी,भोपाल।
6. कोषालय अधिकारी, भोपाल,म0प्र0।
7. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2020/1142-M भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–भोपाल,(म0प्र0)।

विषयः– **श्री श्री शेखर सिंह करण,व्दारा बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष)के एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने एवं परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने बाबत्।**

संदर्भः– **आदेश कमांक/अनुकम्पा नियु./2016/13448,भोपाल,दिनांक 19.10.2016।**

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके उक्त संदर्भित आदेश के व्दारा श्री शेखर सिंह करण पुत्र स्व.श्री जगदीश सिंह करण,जिला भोपाल,को सर्वेलेन्स कार्यकर्ता (तृतीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान् 5200–20200+2100 ग्रेड पे पर सशर्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।

श्री शेखर सिंह करण,की उक्त संदर्भित आदेश के व्दारा की अनुकम्पा नियुक्ति विभागीय अलिपिकीय सेवा भर्ती नियम 1989 में निहित प्रावधान अनुसार बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) का पद तकनीकी पद है। इस पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु संचालनालय स्तर से समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश को पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2015/573–एफ,भोपाल,दिनांक 07.8.2015 के व्दारा निर्देश जारी किये गये है। एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक सी/3–4/1/ 3/08,दिनांक 18 अगस्त 2008 की कण्डिका 5 – अनुकम्पा नियुक्ति के पद की उप कंडिका 5.3 में यह प्रावधान है कि" यदि किसी पद के लिये/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने आवश्यकता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वंय के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हे नियुक्ति दी जावेगी। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,म0प्र0 एवं समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय मध्यप्रदेश को पत्र कमांक/3/प.क./स्थापना/सेल–2/04/1726, भोपाल, दिनांक 08.10.2004 के व्दारा निर्देश दिये गये थे कि **बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष/महिला का पद तकनीकी पद है,बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये अनुकम्पा नियुक्ति नही दी जावे।**

श्री शेखर सिंह करण,की अनुकम्पा नियुक्ति उक्त विभागीय सेवा भर्ती नियमों/सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रो एवं संचालनालय स्तर से जारी दिशा निर्देशों के बिरूद्ध की गई थी। जिसे संचालनालय के पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2018/644–एम, दिनांक 26.6.2018 प्रेषित कर यह निर्देर्शित किया गया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,व्दारा जारी परिपत्र दिनांक 7.8.2015 द्वारा ऐसे आवेदक जिन्हे प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पूर्व ही नियुक्ति प्रदान कर दी गई है के नियुक्ति आदेश निरस्त कर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत से नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करे एवं भुगतान किये गये वेतन भत्तो की वसूली संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आपके आदेश कमांक/स्था./नर्सिग/2018/9623, दिनांक 30.6.2018 व्दारा उक्त अप्रशिक्षित उम्मीदवार ***श्री शेखर सिंह करण***,को नियमों के विरूद्ध दी गई अनुकम्पा नियुक्ति आदेश दिनांक 19.10.2016 को निरस्त करते हुये इन्हे स्वंय के व्यय पर (एम0पी0डब्ल्यू0प्रशिक्षण केन्द्र जिला सागर) में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं साथ ही नियुक्ति दिनांक से 19.10.2016 से 30.6.2018 तक देय वेतन एवं भत्तो की वसूली किये जाने हेतु निर्देर्शित जारी किये गये।

निरंतर..........2

आपके आदेश दिनांक 30.6.2018 नियुक्ति आदेश निरस्ती के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में **रिट याचिका कमांक 14718/2018 श्री तनुज तिवारी जिला भोपाल एवं अन्य (5) में स.क.(2) पर श्री शेखर सिंह करण,का नाम भी सम्मिलित है,के व्दारा दायर** की गई जिस पर माननीय न्यायालय व्दारा दिनांक 16.8.2018 को निम्नानुसार आदेश पारित हुआः–

In view of the above, this petition is disposed of quashing the order impugned dated 30.06.2018 (Annexure P-1) directing respondent to allow the petitioner to rejoin and thereafter the petitioner would submit an appropriate application containing all these undertakings that he would not claim any salary for the period when he had undergone the training and would also bear the expenses of training. The respondents are further directed to consider the petitioner's application and to pass an appropriate order for sending him on training within a period of fifteen days from the date of submitting the application along with certified copy of this order.

न्यायालयीन पारित आदेश के पालन मे संचालनालय स्तर से आपको पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2018/1064–पी.भोपाल,दिनांक 12.10.2018 प्रेषित कर श्री शेखर सिंह करण,याचिकाकर्ता से सहमति प्राप्त कर प्राचार्य पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर से स्वंय के व्यय पर एम0पी0डब्ल्यू0 का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया ।

श्री श्री शेखर सिंह करण,,व्दारा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र सागर से दिनांक 23.10.2018 से 23.10.2019 तक स्वंय के व्यय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। दिनांक 04.3.2020 से 07.3.2020 तक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुये। परीक्षा का परिणाम दिनांक 27.4.2020 को प्रकाशित/जारी हुआ। जिसमें श्री शेखर सिंह करण उत्तीर्ण पाये गये।

श्री शेखर सिंह करण,की मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं संचालनालय के आदेशो के बिरूद्ध की गई अनुकम्पा नियुक्ति अवधि में दिनांक 19.10.2016 से 30.6.2018 एवं दिनांक 01.7.2018 से 16 अक्टूबर 2018 तक भुगतान किये गये वेतन एवं भत्तो की वसूली संबंधी कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

अतः श्री शेखर सिंह करण,व्दारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप आपके अधीनस्थ जिले में रोस्टर अनुसार रिक्त पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) के पद पर नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करने संबंधी कार्यवाही कर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।</u>

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ./क्रमांक/4/लीगल/जेबीएल/2020/1143-M
भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, म0प्र0।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें संभाग भोपाल/जबलपुर सम्भाग,मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक (लीगल/शिकायत) स्थानीय कार्यालय।
5. जला मलेरिया अधिकारी,भोपाल।
6. कोषालय अधिकारी, भोपाल,म0प्र0।
7. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

// |

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2020/1140–M भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–भोपाल,(म0प्र0)।

विषयः– श्री तुषार मोघे,व्दारा बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष)के एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने एवं परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने बाबत्।

संदर्भः– आदेश कमांक/अनुकम्पा नियु./2016/13444,भोपाल,दिनांक 19.10.2016।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके उक्त संदर्भित आदेश के व्दारा श्री तुषार मोघे,पुत्र स्व.स्व.सुहास मोघे,,जिला भोपाल,को सर्वेलेन्स कार्यकर्ता (तृतीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान् 5200–20200+2100 ग्रेड पे पर सशर्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।

श्री तुषार मोघे,की उक्त संदर्भित आदेश के व्दारा की अनुकम्पा नियुक्ति विभागीय अलिपिकीय सेवा भर्ती नियम 1989 में निहित प्रावधान अनुसार बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) का पद तकनीकी पद है। इस पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु संचालनालय स्तर से समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश को पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2015/573–एफ,भोपाल,दिनांक 07.8.2015 के व्दारा निर्देश जारी किये गये है। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक सी/3–4/1/ 3/08,दिनांक 18 अगस्त 2008 की कण्डिका 5 – अनुकम्पा नियुक्ति के पद की उप कंडिका 5.3 में यह प्रावधान है कि" यदि किसी पद के लिये/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने आवश्यक्ता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वंय के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हे नियुक्ति दी जावेगी। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,म0प्र0 एवं समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय मध्यप्रदेश को पत्र कमांक/3/प.क./स्थापना/सेल–2/04/1726, भोपाल, दिनांक 08.10.2004 के व्दारा निर्देश दिये गये थे कि **बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष/महिला का पद तकनीकी पद है,बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जावे।**

श्री तुषार मोघे,की अनुकम्पा नियुक्ति उक्त विभागीय सेवा भर्ती नियमों/सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रो एवं संचालनालय स्तर से जारी दिशा निर्देशो के बिरूद्ध की गई थी। जिसे संचालनालय के पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2018/644–एम, दिनांक 26.6.2018 प्रेषित कर यह निर्देशित किया गया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,व्दारा जारी परिपत्र दिनांक 7.8.2015 द्वारा ऐसे आवेदक जिन्हे प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पूर्व ही नियुक्ति प्रदान कर दी गई है के नियुक्ति आदेश निरस्त कर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत से नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करे एवं भुगतान किये गये वेतन भत्तो की वसूली संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आपके आदेश कमांक/स्था./नर्सिग/2018/9623, दिनांक 30.6.2018 व्दारा उक्त अप्रशिक्षित उम्मीदवार *श्री तुषार मोघे*,को नियमों के विरूद्ध दी गई अनुकम्पा नियुक्ति आदेश दिनांक 19.10.2016 को निरस्त करते हुये इन्हे स्वंय के व्यय पर (एम0पी0डब्ल्यू0प्रशिक्षण केन्द्र जिला सागर) में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं साथ ही नियुक्ति दिनांक से 19.10.2016 से 30.6.2018 तक देय वेतन एवं भत्तो की वसूली किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये।

निरंतर..........2

आपके आदेश दिनांक 30.6.2018 नियुक्ति आदेश निरस्ती के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में **रिट याचिका कमांक 14718/2018 श्री तनुज तिवारी जिला भोपाल एवं अन्य (5) में स.क.(5) पर श्री तुषार मोघे,का नाम भी सम्मिलित है,के** व्दारा दायर की गई जिस पर माननीय न्यायालय व्दारा दिनांक 16.8.2018 को निम्नानुसार आदेश पारित हुआ:—

In view of the above, this petition is disposed of quashing the order impugned dated 30.06.2018 (Annexure P-1) directing respondent to allow the petitioner to rejoin and thereafter the petitioner would submit an appropriate application containing all these undertakings that he would not claim any salary for the period when he had undergone the training and would also bear the expenses of training. The respondents are further directed to consider the petitioner's application and to pass an appropriate order for sending him on training within a period of fifteen days from the date of submitting the application along with certified copy of this order.

न्यायालयीन पारित आदेश के पालन मे संचालनालय स्तर से आपको पत्र कमांक/2/अवि./सेल—5/2018/1064—पी,भोपाल,दिनांक 12.10.2018 प्रेषित कर श्री तुषार मोघे,याचिकाकर्ता से सहमति प्राप्त कर प्राचार्य पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर से स्वंय के व्यय पर एम0पी0डब्ल्यू0 का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया ।

श्री तुषार मोघे,व्दारा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र सागर से दिनांक 23.10.2018 से 23.10.2019 तक स्वंय के व्यय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। दिनांक 04.3.2020 से 07.3.2020 तक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुये। परीक्षा का परिणाम दिनांक 27.4.2020 को प्रकाशित/जारी हुआ। जिसमें श्री तुषार मोघे,उत्तीर्ण पाये गये।

श्री तुषार मोघे,की मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं संचालनालय के आदेशो के बिरूद्व की गई अनुकम्पा नियुक्ति अवधि में दिनांक 19.10.2016 से 30.6.2018 एवं दिनांक 01.7.2018 से 16 अक्टूबर 2018 तक भुगतान किये गये वेतन एवं भत्तो की वसूली संबंधी कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

अतः श्री तुषार मोघे,व्दारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप आपके अधीनस्थ जिले में रोस्टर अनुसार रिक्त पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) के पद पर नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करने संबंधी कार्यवाही कर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ./क्रमांक/4/लीगल/जेबीएल/2020/ 1141 - M
भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रतिलिपि :—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, म0प्र0।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें संभाग भोपाल/जबलपुर सम्भाग,मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक (लीगल/शिकायत) स्थानीय कार्यालय।
5. जिला मलेरिया अधिकारी,भोपाल।
6. कोषालय अधिकारी, भोपाल,म0प्र0।
7. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल–5/2020/1138-M   भोपाल, दिनांक 18/11/2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला–भोपाल,(म0प्र0)।

विषयः– श्री नीलेश पाण्डे,व्दारा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष)के एक वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने एवं परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने के उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने बाबत्।

संदर्भः– आदेश कमांक/अनुकम्पा नियु./2016/13447,भोपाल,दिनांक 19.10.2016।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके उक्त संदर्भित आदेश के व्दारा श्री नीलेश पाण्डे,पुत्र स्व.श्रीमती सुशीला पाण्डे,जिला भोपाल,को सर्वेलेन्स कार्यकर्ता (तृतीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान् 5200–20200+2100 ग्रेड पे पर सशर्त अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई।

श्री नीलेश पाण्डे,की उक्त संदर्भित आदेश के व्दारा की अनुकम्पा नियुक्ति विभागीय अलिपिकीय सेवा भर्ती नियम 1989 में निहित प्रावधान अनुसार बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) का पद तकनीकी पद है। इस पद पर नियुक्ति दिये जाने हेतु संचालनालय स्तर से समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश को पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2015/573–एफ,भोपाल,दिनांक 07.8.2015 के व्दारा निर्देश जारी किये गये है। एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक सी/3–4/1/ 3/08,दिनांक 18 अगस्त 2008 की कण्डिका 5 – अनुकम्पा नियुक्ति के पद की उप कंडिका 5.3 में यह प्रावधान है कि'' यदि किसी पद के लिये/प्रशिक्षण/निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने आवश्यक्ता हो तो संबंधित आवेदक से सहमति प्राप्त कर उन्हें स्वंय के व्यय पर प्रशिक्षण दिया जावे एवं सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने पर उन्हे नियुक्ति दी जावेगी। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,म0प्र0 एवं समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,जिला चिकित्सालय मध्यप्रदेश को पत्र कमांक/3/प.क./स्थापना/सेल–2/04/1726, भोपाल, दिनांक 08.10.2004 के व्दारा निर्देश दिये गये थे कि **बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरूष/महिला का पद तकनीकी पद है,बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये अनुकम्पा नियुक्ति नही दी जावे।**

श्री नीलेश पाण्डे,की अनुकम्पा नियुक्ति उक्त विभागीय सेवा भर्ती नियमों/सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्रो एवं संचालनालय स्तर से जारी दिशा निर्देशों के बिरूद्ध की गई थी। जिसे संचालनालय के पत्र कमांक/2/अवि./सेल–5/2018/644–एम, दिनांक 26.6.2018 प्रेषित कर यह निर्देर्शित किया गया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,व्दारा जारी परिपत्र दिनांक 7.8.2015 द्वारा ऐसे आवेदक जिन्हे प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पूर्व ही नियुक्ति प्रदान कर दी गई है के नियुक्ति आदेश निरस्त कर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत से नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करे एवं भुगतान किये गये वेतन भत्तो की वसूली संबंधी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

आपके आदेश कमांक/स्था./नर्सिग/2018/9623, दिनांक 30.6.2018 व्दारा उक्त अप्रशिक्षित उम्मीदवार ***श्री नीलेश पाण्डे***,को नियमों के विरूद्ध दी गई अनुकम्पा नियुक्ति आदेश दिनांक 19.10.2016 को निरस्त करते हुये इन्हे स्वंय के व्यय पर **(एम0पी0डब्ल्यू0प्रशिक्षण केन्द्र जिला सागर)** में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं साथ ही नियुक्ति दिनांक से 19.10.2016 से 30.6.2018 तक देय वेतन एवं भत्तो की वसूली किये जाने हेतु निर्देर्शित जारी किये गये।

निरंतर..........2

आपके आदेश दिनांक 30.6.2018 नियुक्ति आदेश निरस्ती के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में **रिट याचिका कमांक 14718/2018 श्री तनुज तिवारी जिला भोपाल एवं अन्य (5) में स.क.(6) पर श्री नीलेश पाण्डे,का नाम भी सम्मिलित है,के व्दारा दायर** की गई जिस पर माननीय न्यायालय व्दारा दिनांक 16.8.2018 को निम्नानुसार आदेश पारित हुआ:-

In view of the above, this petition is disposed of quashing the order impugned dated 30.06.2018 (Annexure P-1) directing respondent to allow the petitioner to rejoin and thereafter the petitioner would submit an appropriate application containing all these undertakings that he would not claim any salary for the period when he had undergone the training and would also bear the expenses of training. The respondents are further directed to consider the petitioner's application and to pass an appropriate order for sending him on training within a period of fifteen days from the date of submitting the application along with certified copy of this order.

न्यायालयीन पारित आदेश के पालन मे संचालनालय स्तर से आपको पत्र कमांक/2/अवि./सेल-5/2018/1064-पी, भोपाल,दिनांक 12.10.2018 प्रेषित कर श्री नीलेश पाण्डे, से सहमति प्राप्त कर प्राचार्य पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र सागर से स्वंय के व्यय पर एम0पी0डब्ल्यू0 का प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु निर्देर्शित किया गया ।

श्री नीलेश पाण्डे,सिंह,व्दारा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र सागर से दिनांक 23.10.2018 से 23.10.2019 तक स्वंय के व्यय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। दिनांक 04.3.2020 से 07.3.2020 तक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुये। परीक्षा का परिणाम दिनांक 27.4.2020 को प्रकाशित/जारी हुआ। जिसमें श्री नीलेश पाण्डे, उत्तीर्ण पाये गये।

श्री नीलेश पाण्डे,की मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं संचालनालय के आदेशो के बिरूद्ध की गई अनुकम्पा नियुक्ति अवधि में दिनांक 19.10.2016 से 30.6.2018 एवं दिनांक 01.7.2018 से 16 अक्टूबर 2018 तक भुगतान किये गये वेतन एवं भत्तो की वसूली संबंधी कार्यवाही पृथक से की जावेगी।

अतः श्री नीलेश पाण्डे,व्दारा निर्धारित प्रशिक्षण पूर्ण कर परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप आपके अधीनस्थ जिले में रोस्टर अनुसार रिक्त बहुउद्धेशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष) के पद पर नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय करने संबंधी कार्यवाही कर संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

(डॉ.कैलाश बुन्देला)
अपर संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ./क्रमांक/4/लीगल/जेबीएल/2020/ 1139-M **भोपाल, दिनांक 16/11/2020**

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, म0प्र0।
3. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें संभाग भोपाल/जबलपुर सम्भाग,मध्यप्रदेश।
4. उप संचालक (लीगल/शिकायत) स्थानीय कार्यालय।
5. जिला मलेरिया अधिकारी,भोपाल।
6. कोषालय अधिकारी, भोपाल,म0प्र0।
7. प्रभारी एम0आई0एस0,स्थानीय कार्यालय, विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश